

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

३५२००५ आरबी करी
सुरेन्द्र
८८ RTH

मुकाम

भांडर

बनाम

मनराम


किस्म मुकदमा

नं.

125/

9.6.18

सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
9/18	<p>इलाक़ मय पगावली नमूदा किय के हा कम मएक के वेग हुन इज शरीर हे कार्यगत व पुनिकर्वागत उपायों इसके पक्षों के एलानाम वेग कडा के काग रलीक समीप शीघ्र उपाय गया। वकील कार्यगत की शरत मुनी गया। एलानाम वेग कडा काग व एक मुनिकरि एलानाम कडा कार्यगत उकी उपाय काग व एम केवरा की पली ए-यक 7MRM के एलानाम एम 62/88 की 0.746 हे, यक 8MRM काग व 51/82, 84 की 2.109 हे वम-यक 9MRM के एलानाम एम 68/101 की 1.496 हे. के पुनिकर्वा काग। क. नाउ मएक. एम मएक करीगत व पुनिकर्वा एम के नाउ व. ए. 9 (नाउ. ए. 2) इज की एके। पुनिकर्वा व 2 मय के काग मुनी के कपक एउ एम उमे जाउ हिसे ए निमनामुस एलीय उउ व एम उमुनी वमुनी की</p>	<p>सुदीप सुरेन्द्र ए. ए. ए. ए. के. ए. ए. ए. मनोराम ए. ए. ए. ए. ए.  कमलेश प. ए. ए. ए. दीप</p>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्ट अडकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
-------------	----------------------------------	---

एडवोकेट मन्दी लुई कहे के एडवोकेट
 के एडवोकेट के परमाणु पालना मरी
 मदी कयल एडवोकेट मरी के / कयल एडवोकेट
 पकत कयल कयल वरु के / मरी के
 एडवोकेट मरी / एडवोकेट मरी के एडवोकेट
 एडवोकेट मरी के एडवोकेट मरी के
 एडवोकेट मरी के एडवोकेट मरी के

[Signature]

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 125/18

अनवान :

1. सुरेन्द्र पुत्र जयप्रकाश जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. सन्दीप पुत्र जयप्रकाश जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. मनीराम पुत्र देवतराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. जयप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
3. दुंगावती पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
4. कमलेश पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।


—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती अर्न्तगत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प महराना में वकीलवादी श्री दलवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 7 MRN के मु०न० 28 किला न० 16,25 मु०न० 29 किला न० 21/1, कि कुल 0.746 है० नहरी-बारानी मय खाला, चक 8 MRN के मु०न० 20 किला न० 8,9,12,19,22 मु०न० 21 किला न० 17/2, 24 मु०न० 45 किला न० 4, मु०न० 46 किला न० 2 कुल 2.109 है० नहरी मय रास्ता तथा चक 9 MRN के मु०न० 36 किला न० 14/2, 15/2, 16/1, 17, 18, 23, 24, 25/1 की कुल 1.496 है० नहरी-बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिब खातेदारी दर्ज रिकार्ड की जावे। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने वाद भूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09 जून 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(राजकुमार कस्वा)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा, जिला हनुमानगढ़